प्रपत्र– 2.3

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण–पत्र)

परियोजना का नामः– माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत कपकोट विकास खण्ड के अन्तर्गत शामा से रमाडी तेजम मोटर मार्ग से ज्ञानधूरा होते हुए डॉगटी तक 6.00 किमी0 मोटर मार्ग का वनभूमि प्रस्ताव उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 8/9/15 को प्रश्नगत परियोजना के लिये वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव तैयार करने हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री राम सिंह मर्तोलिया राजस्व विभाग की ओर से श्री किशन नाथ गोस्वामी, प्रस्तावक विभाग की ओर से **श्री मनोज कुमार भटट् सहायक अभियन्ता एवं श्री गोविन्द सिंह कनिष्ठ अभियन्ता** द्वारा संयुक्त निरीक्षण कार्य में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु निम्नानुसार वनभूमि/नापभूमि प्रभावित हो रही है।

आरक्षित वनभूमि 0.000 है0, सिविल एवं सोयम वनभूमि 0.990 हे0, वन पंचायत भूमि 3.870 हे0 एवं नापभूमि 0.540 हे0 प्रभावित हो रही है। परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा आवेदित वनभूमि की मांग न्यूनतम है। परियोजना के निर्माण हेतु प्रस्ताव विभाग द्वारा सुझाये गये अन्य विकल्पों पर भी विचार किया गया व वर्तमान विकल्प/संरेखण को सर्वदा उपयुक्त पाया गया। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है व इस परियोजना के निर्माण से ग्राम बडी पन्याली का तोक ज्ञानधुरा एवं ग्राम लीती का तोक डांगती गॉव व ....जनसंख्या लाभान्वित होगी।

आवेदित वनभूमि में 180 वृक्षों व नापभूमि 25 वृक्षों का पातन निहित है, जिनकी प्रजातिवार/व्यासवार सूची प्रस्ताव में संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना अपेक्षित हो)..

....

ह0/– (प्रयोक्ता एजेन्सी)	ह0/– (राजस्व विभाग का प्रतिनिधि)	ह0/– (वन विभाग का प्रतिनिधि)
ह0/– (जिलाधिकारी)	ह0/– (प्रभागीय वनाधिकारी)	वन क्षेत्राधिकारी, केशियर वन क्षेत्र कपकोट
ह0/– (सम्बन्धित उप जिलाधिकारी)	ह0/– (ग्राम प्रधान/ वन पंचायत सरपंच)	प्रधान, ग्राम पंचायत बडी पन्याली, वि0ख0– कपकोट जिला–बागेश्वर

Sub Divisional Magistrate
Kapkote (Bageshwar)